

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर राजस्थान सरकार
 मिसल संख्या: जिला- झुन्झुनू (रा. 10)
 कैम्प स्थल

प्रशासन गांवों के संग अभियान - 2023

आदेश:-

दिनांक:-

प्रार्थी के "खाता-दूरुस्ती" प्रार्थना पत्र व तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवादी की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में वर्तमान दर्ज प्रविष्टी को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जा कर तहसील (भू0अ0) उदयपुरवादी को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है।

क्र0स0	ग्राम	जमाबन्दी संवत	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टी (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टी जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	2	3	4	5	6
1.	पापड़ा कला	2075-78	241	विकास पुत्र वाराचन्द्र	विकास खरीश पुत्र वाराचन्द्र खरीश जाति जाट

नोट:- शेष प्रविष्टियाँ यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि पर रहन या स्थगन हो तो रहन मुक्त होने / स्थगन आदेश हटने के उपरान्त ही निर्णय की पालना की जावे।

प्रतिलिपि:- 160-164

1. तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवादी को वास्ते पालनार्थ।
2. प्रार्थी / प्रार्थिया जाति निवासी..... को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवादी
प्रभारी अधिकारी
 प्रशासन गांवों के संग अभियान - 2023
 उपखण्ड अधिकारी
 उदयपुरवादी 27/5/23



उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवादी
प्रभारी अधिकारी
 प्रशासन गांवों के संग अभियान - 2023
 उपखण्ड अधिकारी
 उदयपुरवादी

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023

181
 27/5/23